निर्णय बइजलास शुभम चौधरी (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 18/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) जीसीएमएस नं0 2025/47

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर ....प्रार्थी

1. श्रीमती शान्ति पत्नी श्री रामजीलाल पता ग्राम बनोता, नींदडता सवाई माधोपुर । अन्य पता– पट्टा नं0 78, खसरा नं. 638 ग्राम पंचायत नींदडता पंचायत समिति सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर।
2. श्री रामजीलाल पुत्र शोजी पता ग्राम बनोता, नींदडता सवाई माधोपुर । अन्य पता– पट्टा नं0 78, खसरा नं. 638 ग्राम पंचायत नींदडता पंचायत समिति सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर।

..........अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.01.2022 तथा 28.09.2023 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्रीमती शान्ति पत्नी श्री रामजीलाल पता ग्राम बनोता, नींदडता सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा सं. 78, खसरा नं. 638 ग्राम पंचायत नीदडदा पंचायत समिति सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में स्वयं की खाली जगह, उत्तर में रामस्वरूप पुत्र श्योजी का बाडा व दक्षिण में कैलाश पुत्र रूघनाथ का घर है, जिसका क्षेत्रफल 233.33 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 7,00,000/– (सात लाख रूपये मात्र) तथा 2,86,100/– (दो लाख छियासी हजार सौ रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस (अदम तामिल) जारी किये जाने साथ ही दिनांक 20.09.2024 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 13.09.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस (अदम तामिल) जारी किया गया साथ ही दिनांक 20.09.2024 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा सं. 78, खसरा नं. 638 ग्राम पंचायत नीदडदा पंचायत समिति सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में स्वयं की खाली जगह, उत्तर में रामस्वरूप पुत्र श्योजी का बाडा व दक्षिण में कैलाश पुत्र रघुनाथा का घर है, जिसका क्षेत्रफल 233.33 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक 11·3·2025 को सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:31:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner